संख्या-3209/11-4-5 रिट/80 टी0सी0

डा0 सिन्हा
वित्त
कक्ष 4 भवन ।

निकाय उ0प्र0

लखनऊ दिनांक: 23 मई, 1984

कक्ष-4

विषय- पालिका प्रशासी प्रवर सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु कोटा निर्धारण ।

विषय पर उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1966 के नियम-12 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उ0प्र0पालिका प्रशासी प्रवर सेवा के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित करते हैं:-

(1) अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 से नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 पद हेतु ।	उ0प्र0पालिका केन्द्रीयित सेवा में अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 के पद पर स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त हो तथा चयन वर्ष की पहली जुलाई को पालिका केन्द्रीयित सेवा में अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 के पद एवं वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।
(2) सहायक नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 के पद से उप नगर अधिकारी वेतनमान के पद पर अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयन ।	उ0प्र0पालिका केन्द्रीयित सेवा में सहायक नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 के पद पर स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त हो तथा उक्त पद एवं वेतनमान में चयन वर्ष की पहली जुलाई को कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।
(3) उप नगर अधिकारी सामान्य नगर अधिकारी विशेष हेतु ।	उप नगर अधिकारी के पद पर स्थाई हो तथा सहायक नगर अधिकारी तथा उप नगर अधिकारी के पद पर कुल मिलाकर 15 वर्ष की

2/

सेवा चयन वर्ष की पहली जुलाई को पूरी कर ली हो जिसमें उप नगर अधिकारी (सामान्य वेतनमान) में कम से कम 5 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है ।

भवदीय

(पी0एन0 सिन्हा)
सयुक्त सचिव ।

संख्या-3209(1)/11-4-5 रिट/80(टी0सी0) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नगर महापालिकाओं/विकास प्राधिकरण के प्रशासक/उपाध्यक्ष ।
2- समस्त नगरपालिकाओं के प्रशासक ।
3- सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(पी0एन0 सिन्हा)
सयुक्त सचिव ।